कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

क्रमांक 6058 दिनांक 26.8.2020

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का पत्र संख्या जी/आई/ए–4(i)(a)12/19/4535 Dated: 24-08-2020 मय संलग्नक निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण मामलात्, बीकानेर।
2. श्रम न्यायालय, बीकानेर।
3. न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण, बीकानेर।
4. पारिवारिक न्यायालय सं. 1/सं. 2/सं 3, बीकानेर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1/2/3/4/5/6/7, बीकानेर/कैम्प कोर्ट, डूंगरगढ़।
6. अपर सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), बीकानेर।
7. विशिष्ठ न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति/(अ.नि.प्र.) बीकानेर।
8. विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो, बीकानेर।
9. मुख्य न्यायिक मजि. बीकानेर।
10. अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 1/2/3/4, बीकानेर।
11. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बीकानेर।
12. अति. मुख्य न्यायिक मजि., पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज, बीकानेर।
13. अति. मुख्य न्यायिक मजि., (रेलवे), बीकानेर।
14. अति. मुख्य न्यायिक मजि., (किराया अधिकरण), बीकानेर
15. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा/लूणकरणसर/डूंगरगढ़
16. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. बीकानेर/सं. 3, बीकानेर
17. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलायत/खाजूवाला
18. अति. सिविल न्यायाधीश, सं. 1/2/3, बीकानेर।
19. विशिष्ठ न्यायिक मजि., एन.आई एक्ट प्रकरण सं. 1/2/3, बीकानेर।
20. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बीकानेर/कोलायत,
21. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर
22. रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर
23. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वर्णित समस्त को जरिये ईमेल प्रेषित करें एवं न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)12/19/4535 दिनांक :24.08.2020

प्रेषक :-

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

प्रेषिति :-

समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश।

विषय:- राजस्थान सिविल सेवायें (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-7 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित दण्ड के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भ:- प्रमुख शासन सचिव का पत्रांक प.8(3)न्याय/2019 दिनांक 17.07.2020

महोदय,

आपका ध्यान कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2013 की तरफ आकर्षित करते हुए लेख है कि उक्त परिपत्र के अनुसार सेवानिवृत्त राजसेवक के संबंध में अनुशासनिक जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रथमत: एक रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत करके आदेश प्राप्त किये जाने चाहिए एवं तदुपरांत ही समानुपातिक दण्ड प्रस्तावित करके महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि उक्त परिपत्र की स्पष्ट रूप से पालना नहीं हो रही है।

अत: प्रमुख शासन सचिव के पत्रांक प.8(3)न्याय/2019 दिनांक 17.07.2020 की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2013 एवं इसी अनुरूप समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

24.8.2020

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

e-mail से प्राप्त
26.8.2020
10.50 AM.

26.08.20

रजिस्टर्ड—पार्सल

CR/622144681N
28/7/2020

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.8(3)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 17 JUL 2020

रजिस्ट्रार जनरल
राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर।

विषयः—राजस्थान सिविल सेवायें (पेंशन) नियम, 1996 के नियम—7 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित दण्ड के अनुमोदन के संबंध में।

संदर्भः—आपका पत्र क्रमांकः जी/आई/ए—4/(i)(a)12/19/4114 दिनांक 13.09.2019 एवं पत्र क्रमांकः जी/आई/ए—4/(i)(a)12/19/1943 दिनांक 26.02.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि श्री सतीश चन्द पारीक, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला जयपुर जो दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत हो चुके हैं, के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही में अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत श्री पारीक को देय पेंशन राशि में से महंगाई भत्ता आदि सहित 1000/— रूपये प्रतिमाह आजीवन कटौती किये जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के अनन्तिम निर्णय का अनुमोदन माननीय राज्यपाल महोदय ने कर दिया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने यह भी निर्देश दिए है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2013 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। भविष्य में ऐसे प्रकरणों में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2013 की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करायी जावे। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2013 की प्रति एवं अभिलेख संलग्न कर भिजवाए जा रहा है।

संलग्नः—यथोक्त
विभागीय जांच संख्या 10/14
विरूद्ध श्री सतीश चन्द पारीक की मूल पत्रावली—2

भवदीय
17.7.2020
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय
क्रमांक 655
दिनांक 26.7

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx